निष्पक्ष



शुभम दुबे
स्तम्भकार और राजनैतिक विश्लेषक

'पीली गैंग' के सामने चट्टान बनीं नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट



इंदौर की सड़कों और चौराहों पर जब भी नगर निगम की पीली जैकेट और डंपरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, तो वह केवल यातायात या अतिक्रमण हटाने की सामान्य कार्रवाई नहीं रह जाती, बल्कि वर्षों से चली आ रही उस आदतन बेरुखी का चेहरा बन जाती है, जो गरीबों के पेट पर लात मारने से भी नहीं हिचकिचाती। अपनी इसी आदतन व्यवहार से पेशोन और आमदा होकर निगम का रिमूवल अमला जब सड़कों पर उतरता है, तो सब्जी-फल और फूल बेचकर दिन भर में कुछ सौ रुपये कमाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के सामने जैसे खुली लूट का मंजर खड़ा हो जाता है–जहां मेहनत की पूंजी से खरीदे गए ठेले, तौल कांटे और रोजी-रोटी का सामान डंपरों में पटककर राजकुमार ब्रिज के नीचे निगम के गोदाम में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब्त सामान वापस पाने की जद्दोजहद में गरीबों की दिहाड़ी, कच्चा माल और आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर लग जाता है। नवंबर 2026 के तीसरे सप्ताह में यह दहशत और यह टकराव अपने सबसे तीखे रूप में सामने आया, जब 20 नवंबर को राजकुमार ब्रिज के नीचे निगम गोदाम पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट (भाटिया) ने जब्त ठेलों की दुर्दशा और कथित अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोला, और उसके ठीक अगले दिन यानी 21 नवंबर को फूटी कोठी चौराहे पर बुलडोजर व ट्रकों के साथ वर्षों पुरानी सब्जी मंडी उजाड़ने पहुंची टीम के सामने खुद सड़क पर धरने पर बैठ गईं। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बीच एक ओर उन्होंने हाथ जोड़कर गरीबों की रोजी-रोटी न छीनने की भावुक अपील की, तो दूसरी ओर वरिष्ठ अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी और गोदाम से सामान सम्मानपूर्वक न लौटाने पर अगली बार ताला तोड़कर ठेले निकालने का अल्टीमेटम दिया, जिसके दबाव में आखिरकार निगम आयुक्त को स्थायी समाधान की वार्ता के लिए आगे आना पड़ा।

इस पूरी घटना का गंभीर विश्लेषण यह बताता है कि इंदौर में समस्या केवल किसी एक चौराहे या एक दिन की कार्रवाई की नहीं है, बल्कि उस गहरे नीतिगत विरोधाभास और संवेदनहीनता की है, जिसमें एक ओर पीएम स्वनिधि योजना के तहत कर्ज देकर गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के दावे किए जाते हैं और दूसरी ओर उसी ऋण से खड़े किए गए छोटे कारोबारों को बिना ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़कर उन्हें कर्ज के जाल में धकेल दिया जाता है। पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 की भावना और व्यावहारिक हॉकर्स जोन के वादों के उलट जब बिना समुचित पुनर्वास के मंडियां हटाई जाती हैं और वित्तीय अनियमितताओं पर कसी जाने वाली सख्ती के बजाय सबसे कमजोर वर्ग पर ताकत आजमाई जाती है, तो 'पीली गैंग' का खौफ प्रशासन की साख और मानवीय संवेदना–दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। अब जरूरत इस बात की है कि 'शहरी विकास' और 'स्वच्छता' की परिभाषा को केवल चौड़ी सड़कों और खाली चौराहों तक सीमित न रखकर इंसान की भूख और सम्मान से जोड़ा जाए; नीतियों में तत्काल सुधार करते हुए सर्वेक्षण के आधार पर व्यावहारिक वेंडिंग जोन तय किए जाएं, जब्त सामान की सम्मानजनक और पारदर्शी वापसी की व्यवस्था बने, और गरीबों की रोजी-रोटी छीनने की इस आदतन प्रवृत्ति पर स्थायी लगाम लगाई जाए, ताकि इंदौर की चमक किसी मेहनतकश के आंसुओं और उजड़े हुए ठेलों की कीमत पर न टिकी रहे।

अजी जनाब...सुनते हैं...?

टफ बनाम टैरिफ

समाचार : अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'टफ 'बताया
टिप्पणी:और डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या है, 'टैरिफ '!

प्रवीण चौधरी बागली देवास

रसातल में

जलसंकट के मद्देनजर 300 नए बोरिंग करवायेगा इन्दौर नगर निगम, यह बोरिंग 500 से 700 फीट गहरे खोदें जाएंगे...खबर
टिप्पणी- जब डेढ़ सौ फीट तक गहरे मेट्रों स्टेशन खोदें जाएंगे,तो पानी रसातल में पहुंचेगा ही....?

संजय डागा हातोद

कहीं संक्रमण तो नहीं

समाचार : द कोरिया में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में नकल रोकने के लिए युद्ध सी सख्ती, इमरजेंसी एलर्ट से साइलेंट फोन भी बजेंगे पकड़ाए तो 10 साल का बैन टिप्पणी: चीन ने कोरोनावायरस दुनिया को दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि नकल वायरस हमारे देश से...

चन्द्रशेखर दिघे
पता : कनाड़िया रोड़ इंदौर मोबाइल: 88889698195

सोशल मीडिया पर 'माफियागिरी' का भूत उतराः

खजराना पुलिस के हत्थे चढ़े स्टंटबाज,

घुटनों पर बैठकर कान पकड़ मांगी माफी!



रील के चक्कर में 'रियल' पुलिस से पड़ा पालाः इंदौर की सड़कों पर बाइक स्टंट करने वाले युवकों की निकली हेकड़ी!

इंदौरः शहर की व्यस्त सड़कों पर रात के अंधेरे में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर बाइक से खतरनाक स्टंट करना युवकों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर 'माफिया इंदौर' के नाम से रील बनाकर हीरोगिरी झाड़ने वाले स्टंटबाज युवकों को खजराना पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सभी आरोपी घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती की माफी मांगते नजर आए।

क्या है पूरा मामला?

मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है। यहां कुछ युवकों ने रात के समय मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार बाइक से खतरनाक स्टंट (व्हीली) किए थे। इतना ही नहीं, रौब जमाने और सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के लिए इन युवकों ने स्टंट का वीडियो बनाकर 'माफिया इंदौर' नाम के अकाउंट से अपलोड कर दिया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे।

पुलिस का एक्शन: 'माफिया' बने भीगी बिल्ली

वायरल वीडियो जैसे ही खजराना पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई। तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने तुरंत स्टंटबाजी करने



वाले चारों युवकों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई बाइकों को भी जब्त कर लिया है।

घुटनों पर बैठकर खाई कसम

थाने पहुंचने के बाद सोशल मीडिया के इन 'माफियाओं' की सारी स्टंटबाजी निकल गई। पुलिस ने चारों युवकों को थाने परिसर में सिर के पीछे हाथ रखवाकर घुटनों के बल बैठाया। इस दौरान आरोपियों का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वे अपनी गलती स्वीकार करते हुए कह रहे हैं– 'हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम कभी भी सड़क पर स्टंट नहीं करेंगे और न ही किसी की जान जोखिम में डालेंगे। हम हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। '

पुलिस की सख्त चेतावनी

खजराना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त वैधानिक व चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के युवाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के चक्कर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

रिश्वत के आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी सजा

हाइकोर्ट ने आंशिक बदलाव कर रखी बरकरार

इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस आलोक अवस्थी की एकल पीठ ने एक अपील याचिका सुनवाई उपरांत रिश्वत के प्रकरण में आरोपी को दी गई सजा में आंशिक बदलाव कर निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है?।

कोर्ट ने यह आंशिक बदलाव आरोपी की उम्र को देखते हुए किया और उसे निचली अदालत द्वारा सुनाई तीन साल की सजा को घटाकर दो साल कर आरोपी को 4 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर का आदेश दिया।

आरोपी अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज का कर्मचारी था और उसने छठे वेतनमान का एरियर जारी करने के बदले एक अन्य कर्मचारी से दो हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते उसे गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना उपरांत चालान ट्रायल कोर्ट में पेश किया था जहां ट्रायल कोर्ट ने उसे दो धाराओं में दोषी करार देते क्रमशः तीन और दो साल की सजा दी थी। इसके खिलाफ उसने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामचंद्र वर्मा ने स्थापना शाखा में पदस्थ कर्मचारी रामेश्वर चौहान की लोकायुक्त में शिकायत कर लोकायुक्त को बताया था कि एरियर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए वह उससे दो हजार रुपए मांग रहा है।

जिसके बाद लोकायुक्त ने ट्रैप कार्रवाई आयोजित कर आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और उसके हाथ धुलवाने पर उसके हाथ लाल हो गए थे। लोकायुक्त ने उसके टेबल के ड्रॉज से रिश्वत के वही नोट बरामद किए जिनके नंबर पहले दर्ज किए जा चुके थे।

2010 के इस प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 2014 में दिए अपने निर्णय में आरोपी को दोषी करार देते दो धाराओं में क्रमशः तीन और दो साल की सजा दी थी। इसके खिलाफ आरोपी ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की जिस पर सुनवाई उपरांत कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आरोपी को दो साल की सजा बरकरार रखी वहीं तीन साल की सजा को घटाकर दो साल कर दिया।

फसल बीमा में बैंक की मनमानी पर लगाम

गलती हुई तो बैंक ही देगा क्लेम; 18 लाख किसानों को बड़ी राहत

इन्दौर (ईएमएस)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के साथ होने वाली बैंकिंग गड़बड़ियों पर अब मध्यप्रदेश सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। फसल बीमा का प्रीमियम काटने के बाद भी किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं करने, फसल का गलत विवरण दर्ज करने या तकनीकी चूक के कारण किसानों को बीमा क्लेम से वंचित रखने वाले बैंकों और सहकारी समितियों को अब अपनी गलती की कीमत खुद चुकानी होगी।

इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों से जुड़े करीब 15 से 18 लाख ऐसे किसानों को फायदा होगा, जो किसी न किसी कारण से कर्ज के कवायादार हैं। अब बैंक पुराने कर्ज की वसूली या ब्याज में समायोजन का हवाला देकर उनका फसल बीमा प्रीमियम नहीं रोक सकेंगे।

फसल बीमा योजना में सबसे बड़ी समस्या बैंकों की लापरवाही को लेकर सामने आती रही है। कई मामलों में बैंक किसानों के खाते से बीमा प्रीमियम की राशि तो काट लेते थे, लेकिन राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर संबंधित किसान का विवरण अपलोड नहीं करते थे। कुछ मामलों में फसल का नाम, क्षेत्रफल या अन्य जरूरी जानकारी गलत दर्ज कर दी जाती थी। इसका नतीजा यह होता था कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसान बीमा क्लेम के लिए दावा करता था, लेकिन पोर्टल पर सही जानकारी नहीं होने के कारण उसका दावा अटक जाता था। अब सरकार ने इस व्यवस्था में जवाबदेही का नया प्रावधान किया है। बैंक की गलती से किसान को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी बैंक को ही करनी होगी।

पुराने कर्ज में प्रीमियम समायोजित करने पर रोक–नए प्रावधान में ऋणी किसानों के बीमा प्रीमियम को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब संबंधित फसल सीजन में किसान को वास्तव में स्वीकृत ऋण के आधार पर बीमा प्रीमियम की राशि अतिरिक्त ऋण के रूप में स्वीकृत की जाएगी। यानी फसल बीमा का प्रीमियम पुराने बकाया कर्ज में बुक एडजस्टमेंट करके नहीं काटा जा सकेगा।

खरीफ और रबी के प्रीमियम का अलग-अलग हिसाब–सरकार ने फसल के दोनों मौसमों के बीमा प्रीमियम को लेकर भी नियम स्पष्ट किए हैं। अब खरीफ और रबी सीजन का प्रीमियम अलग-अलग लेना होगा। बैंक और सहकारी समितियां संबंधित फसल मौसम के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर ही किसानों से प्रीमियम की राशि लेंगी।

45 से 50 लाख किसान लेते हैं बीमा कवर–मध्यप्रदेश में खरीफ और रबी दोनों सीजन मिलाकर हर साल औसतन 45 से 50 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ते हैं। इनमें 85 फीसदी से अधिक यानी करीब 40 लाख किसान ऋणी श्रेणी में आते हैं। किसानों का बीमा प्रीमियम सामान्य तौर पर बैंक के माध्यम से काटा जाता है। ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था की छोटी-सी चूक भी बड़ी संख्या में किसानों को प्रभावित कर सकती है। सरकार के नए प्रावधानों का सीधा असर इसी व्यवस्था पर पड़ेगा।

कॉस्प्ले मास्टरक्लास ने कॉमिक कॉन को लेकर उत्साह बढ़ाया

इंदौर, : मारुति सुजुकी प्रस्तुत और क्रंचीरोल द्वारा संचालित इंदौर कॉमिक कॉन के पहले संस्करण की तैयारियों के तहत, कॉमिक कॉन इंडिया ने कॉस्प्ले मास्टरक्लास का आयोजन किया। इस सेशन में कॉस्प्ले में रुचि रखने वाले कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

19-20 दिसंबर, 2026 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला इंदौर का पहला कॉमिक कॉन शहर के तेजी से बढ़ते पॉप-कल्चर समुदाय को एक मंच पर लाने का लक्ष्य रखता है। इस आयोजन के माध्यम से प्रशंसकों को अपने पसंदीदा किरदारों, कहानियों और फैंडम का जश्न मनाने का अवसर मिलेगा। मास्टरक्लास का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रशंसकों को कॉस्प्ले के



लिए प्रोत्साहित करना, उनकी रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करना और आयोजन से पहले समान रुचि रखने वाले लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना था।

इस सेशन का संचालन अनुभवी कॉस्प्ले कलाकार समीर बुंदेला, मानस्वी और लाइट ने किया। तीनों ने प्रतिभागियों के साथ अपनी-अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा किए। चार बार इंडियन कॉस्प्ले चैंपियन रह चुके समीर बुंदेला, जो एक कलाकार, फिल्म निर्माता और कॉस्प्ले जज भी हैं, ने प्रतिस्पर्धात्मक कॉस्प्ले और कॉस्ट्यूम निर्माण की दुनिया से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

समीर बुंदेला ने कहा, 'मुझे कॉस्प्ले के बारे में बात करना बेहद पसंद है और जब नए उत्साही चेहरों को इस शौक को अपनाने के लिए उत्सुक देखता हूं, तो बहुत अच्छा लगता है। मानस्वी ने कहा, 'मास्टरक्लास सेशन बेहद शानदार और जानकारीपूर्ण अनुभव रहा और इसका हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कॉस्प्ले समुदाय अभी छोटा है और लोगों के बीच कॉस्प्ले को लेकर जागरूकता भी सीमित है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह के व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से यह समुदाय आगे बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे। इस मास्टरक्लास में प्रतिभागियों ने कॉस्प्ले के विभिन्न पहलुओं को समझा। इनमें किरदार की अवधारणा तैयार करने और कॉस्ट्यूम बनाने से लेकर सही सामग्री का चयन, विग स्टाइलिंग, फोम क्राफ्टिंग, मेकअप और प्रस्तुति तक की जानकारी शामिल रही।

कैथोलिक समाज ने ख्रीस्त राजा त्यौहार मनाया

इंदौर । विश्व कैथोलिक कलीसिया के साथ साथ आज इन्दौर कैथोलिक समाज ने भी ख्रीस्त राजा का पर्व मनाया। इंदौर के सभी चर्चों में सुबह पवित्र मिस्सा के साथ ख्रीस्त राजा का पर्व मनाया मनाया गया।

पलासिया स्थित माता मरिया ग्रोटो पर शाम 4:00 बजे पवित्र रोजरी माला विनती के जाप के साथ शुरू हुई। जिसमें इंदौर धर्मप्रांत की विभिन्न पल्लियों से सैकड़ों कैथोलिक विश्वासियों ने भाग लिया। पवित्र रोजरी माला विनती के बाद पवित्र यूखरिस्त की आराधना हुई। इंदौर धर्मप्रांत के बिशप, (डॉ) बिशप थॉमस मैथ्यू की अगुवाई तथा फादर राजू डोडियार एसवीडी एवं अन्य पुरोहितों की सहभागिता में पवित्र मिस्सा अर्पित की गई।

पवित्र मिस्सा के दौरान अपने प्रवचन में फादर राजू डोडियार एसवीडी ने कहा कि- 'ख्रीस्त राजा का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी बुलाहट और अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं। हम प्रभु येसु ख्रीस्त को अपना राजा मानते हैं। लेकिन हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि प्रभु येसु





ख्रीस्त किस प्रकार के राजा हैं?

प्रभु येसु एक ऐसा राजा नहीं है, जो दूसरों पर अपना अधिकार जताता है, बल्कि वे ऐसे राजा हैं, जो अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनकी सेवा करते हैं।

इसका उल्लेख हमें आज के पहले पाठ में मिलता है। नबी इज़ेकियल के ग्रंथ के अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल किस प्रकार करता है। जब भेड़ें खो जाती हैं, तो वह उन्हें खोजकर वापस लाता है। जब वे बीमार और लाचार हो जाती हैं, तो उनकी सेवा करता है, उनका उपचार करता है और उन्हें बचाता है।

इसी प्रकार, आज का सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु येसु राजा के रूप में हमारा लेखा-जोखा यानी हमारा न्याय किस आधार पर करेंगे। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि हमें दूसरों की सेवा करना कितना आवश्यक है। भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी पिलाना, बीमारों की देखभाल करना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्ची सेवा है।

क्योंकि प्रभु येसु स्वयं कहते हैं, 'तुमने जो कुछ इन छोटे-से-छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे ही लिए किया। '

इस प्रकार, ख्रीस्त राजा का पर्व हमें यह चुनौती देता है कि यदि हम प्रभु येसु को अपना राजा मानते हैं, तो हमें भी उनके समान दूसरों की सेवा करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति बनना चाहिए। 'समस्त जानकारी इन्दौर क्रिश्चियन मीडिया फोरम के बी.ए.अलवारिस द्वारा दी गई।

अंतिम पत्र

सोना चांदी जरूरी है या खाद्यान्न-समाचार ।

गत वर्ष मोदीजी की 'सोना ना खरीदने की सलाह मानने से सोना रुपये 25000 प्रति 10 ग्राम कम हो गया।

टिप्पणी-खाद्य पदार्थ और वस्तुओं को सस्ता करने या मंहगाई को रोकने हेतु भी मोदीजी नेक सलाह क्यों नहीं देते ?

बी एल शर्मा 'अकिंचन'
तराना-उज्जैन